अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 1 :-

40 20.02.2024	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** विविध वाद सं० 01/2020–21 स्व० महाबीर कच्छप (उरॉव) पिता स्व० बुधवा उरॉव, द्वारा विधिक प्रतिनिधि श्रीमति रेशमी कच्छप पति स्व० महाबीर कच्छप जाति उरॉव (अनुसूचित जनजाति), पेशा कृषि, निवासी मुरूंगटोली, थाना खर्सीदाग, जिला राँची (झारखण्ड) .... आवेदक बनाम् रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन पोस्ट बेलुर मठ, हावड़ा – 711202 (प० बं०) द्वारा सचिव रामकृष्ण मिशन टी०बी० सेनोटोरियम ग्राम डुंगरी, जिला रॉची .... विपक्षी आदेश प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक द्वारा छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत दायर आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है। आवेदक ने मौजा– डुंगरी, थाना सं० 294, जिला–राँची के खाता सं० 13, प्लॉट सं० 1215, रकबा 0.11 एकड़ भूमि को विपक्षी रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन पोस्ट बेलुर मठ, हावड़ा – 711202 (प० बं०) द्वारा सचिव रामकृष्ण मिशन टी०बी० सेनोटोरियम के पक्ष मे अस्पताल ओ० पी० डी० के निर्माण एवं संचालन हेतु विपक्षी द्वारा धारित मौजा डुंगरी,, थाना सं० 294, जिला रॉची स्थित खाता सं० 213, प्लॉट सं० 1376 रकबा 0.11 ए० भूमि के ऐवज मे बदलेन करने की अनुमति के लिए याचना की है। प्रस्तुत वाद मे श्रीमति रेशमी कच्छप पति स्व० महाबीर कच्छप के द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमे उनके द्वारा प्रस्तुत वाद को नया वाद संस्थित की स्वतंत्रता रखते हुए प्रत्याहरण करने की अनुमति की याचना की गई है। श्रीमति रेशमी कच्छप के अनुसार उनके पति महाबीर कच्छप की मृत्यु हो गई है, जो इस वाद के आवेदक थे। चुँकि वर्त्तमान मे आवेदित भूमि के हस्तांतरण की शर्त्ते बदल गई है, इसलिए वे प्रस्तुत वाद का प्रत्याहरण कर नया वाद दाखिल करना चाहती है।	

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 2 :-	
	अतः आवदेक श्रीमति रेशमी कच्छप द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हे नया वाद संस्थित की स्वतंत्रता रखते हुए प्रस्तुत वाद को प्रत्याहरण (withdraw with a liberty to institute fresh case) की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही प्रस्तुत वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। इस आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकरियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त रॉची लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त रॉची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.03.11 03:26:16 -07:00
Location: 192.168.1.5